27.8.19	पक्षकारान के अधिवक्तागण उपस्थित। मूल अपील में निर्णय पारित हो चुका है, लिहाजा यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Scanned by CamScanner